



**कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)**



E-mail – dean-gmcsahdol@mp.gov.in ,
Website - WWW.GMCSHAHDOL.ORG,

Office No. :- 07652-243000
Fax No. :- 07652 - 243222

कमांक/...9915.../स्था./एम.सी./2024

शहडोल, दिनांक 01.03./2024

विज्ञप्ति सूचना

म0प्र0 राज्य एंड्स नियंत्रण समिति (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग- म.प्र. शासन) भोपाल द्वारा स्वीकृत ऑपरेशनल रिसर्च हेतु 02 प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की अस्थायी नियुक्ति की प्राप्त स्वीकृति/अनुमति उपरांत बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शहडोल अंतर्गत रिसर्च प्रोजेक्ट “Stigma & Discrimination among PLHIV & Key Popular” (Bhopal, Indore, Gwalior & Jabalpur) हेतु 02 प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की प्रथमतः 03 माह के लिए निश्चित मासिक मानदेय रुपये 18000/- पर निम्नलिखित शर्तों के आधीन नियुक्ति की जानी है। जिस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 11.03.2024, दिन - सोमवार तक सायं 05 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं :-

❖ पदों का विवरण :-

स.क्र.	पद का नाम	पद संख्या	श्रेणी
1	Project Technician II	02	सामान्य

❖ पदों की शैक्षणिक योग्यता एवं मासिक मानदेय :-

S.No.	Name of Post	Essential Qualification	Desirable Qualification and Experience	Emoluments	Age limit
1	Project Technician	Graduation in Science Subject or equivalent with 6 month experience of Public health research in NTEP/NACP	<ul style="list-style-type: none"> • Preference for MBBS/BDS/BAMS/BHMS Candidates. • Knowledge of Computer Applications • Experience of working in Public Health/Medical Research Projects 	18000/- per month (Consolidated)	35 years

Nature of Duties :-

S.No.	Name of Post	Desirable Qualification and Experience	Duration
1	Project Technician	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Field Visit to ART Centers (Jabalpur, Bhopal, Indore & Gwalior). ❖ Field Visit to TIS Jabalpur, Bhopal, Indore & Gwalior). ❖ Project related account management. ❖ Any other duty assigned by the PI/Co-PI officer from time to time 	3 Months

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	:-	दिनांक 11.03.2024, दिन - सोमवार
समय	:-	सायं 05 बजे तक
स्थान	:-	कार्यालय अधिष्ठाता, बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)
साक्षात्कार अथवा परीक्षा की तिथि	:-	15.03.2024

सेवा की शर्तें :-

1. यह सेवायें पूर्ण रूप से अस्थायी हैं एवं म0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण समिति (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग- म.प्र. शासन) भोपाल द्वारा अस्थायी रूप से सेवायें लिए जाने हेतु प्रदान की गई स्वीकृति/अनुमति के आधार पर ली जा रही हैं। अतः इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिए किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जावेगा।
2. अभ्यर्थियों के आयु (Age limit) की गणना दिनांक 01.01.2024 के अनुसार की जावेगी।
3. म.प्र. शासन द्वारा समस्त श्रेणियों में प्रदान की जाने वाले आयु सीमा की छूट का पालन किया जावेगा।
4. उपरोक्त अस्थायी नियुक्ति बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शहडोल के अंतर्गत प्रथमतः 03 माह के लिए तक ली जा रही हैं।
5. अंतिम तिथि तक प्राप्त होने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र के सूक्ष्म परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची तथा पात्र अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों के परीक्षण एवं सत्यापन तथा नियुक्ति हेतु साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा दिनांक 15.03.2024 को नियत है।
6. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
7. नियुक्ति संबंधी जानकारी अथवा सूचना बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की अधिकृत वेबसाइट WWW.GMCSHAHDOL.ORG के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी। अतः समय-समय पर वेबसाइट का अवलोकन करें।
8. चयनित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का आवास या छात्रावास महाविद्यालय द्वारा प्रदान नहीं किया जावेगा।
9. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी आर्हता की जांच स्वयं कर लें और आर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर अथवा उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।
10. आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच लंबित न होने संबंधित शपथ पत्र स्वयं के व्यय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. कार्य एवं व्यवहार के संबंध में मुख्य अन्वेषणकर्ता या सह अन्वेषणकर्ता अधिकारी के प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने के उपरांत संबंधित का नियुक्ति आदेश बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा एवं संबंधित अभ्यर्थी को पुनः नियुक्ति हेतु आवेदन करने का अधिकार नहीं होगा।

12. उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी मुख्य अन्वेषणकर्ता (डॉ. आकाश रंजन सिंह, सहायक प्राध्यापक, कम्प्युनिटी मेडिसिन विभाग) या सह अन्वेषणकर्ता अधिकारी बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल होंगे।

13. उम्मीदवार के चयन के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल द्वारा लिया गया अंतिम निर्णय ही सर्वमान्य होगा।

निरर्हतायें :-

- विकृत चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- **नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा :-** किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा।
- **विवाह संबंधी :** जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा, उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार, जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- जिस आवेदक की 02 से अधिक संतान हो एवं जिसमें से तीसरी संतान का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उससे पश्चात हुआ हो, तो ऐसे उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। (दो या दो से कम संतान वाले आवेदक को शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिधेय फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- **कदाचरण संबंधी :-** किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो, यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- **स्वास्थ्य संबंधी :-** मानसिक रूप से स्वस्थ न होने पर किसी भी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा जब तक कि वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात अच्छी तरह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाये, तथा वह ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करें। चिकित्साकीय परीक्षण में अयोग्य पाए जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)


o/c

बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शहडोल(म.प्र.)

म0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण समिति (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग- म.प्र. शासन) भोपाल द्वारा
स्वीकृत ऑपरेशनल रिसर्च हेतु 02 प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की अस्थायी नियुक्ति हेतु

आवेदन पत्र

पद का नाम :-

01. विज्ञापन क्रमांक दिनांक

02. आवेदक का पूरा नाम (उप नाम सहित).....

03. पिता/पति का नाम (उप नाम सहित).....

04. जन्म तिथि/...../.....

(सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

05. आयु:- वर्ष.....माह.....दिन.....(दिनांक 01.01.2024 की स्थिति में)

06. वर्तमान निवास का पता तथा पिन कोड एवं मो. नं. :-.....

.....

.....

07. स्थाई निवास का पूर्ण पता तथा पिन कोड :-

.....

08. क्या अभ्यार्थी भूतपूर्व सैनिक है (हाँ/नहीं)

09. विवाहित होने की स्थिति में विवाह की तिथि

10. पैरामेडिकल/मेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन क्रमांक

11. रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन क्रमांक

12. शैक्षणिक योग्यता :- (विज्ञापन अनुसार पद हेतु उल्लेखित समस्त अर्हता परीक्षाओं की जानकारी)

क्र.	परीक्षा का नाम	स्कूल/ महाविद्यालय का नाम	वर्ष	विषय	श्रेणी	प्राप्तांक/ पूर्णांक

पासपोर्ट साइज नवीनतम
फोटो
(नाम एवं दिनांक सहित)

//2//

13. अन्य विशेष योग्यता :-
14. निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करें :-

क्र.	दस्तावेजों का विवरण	(हां/नहीं/लागू नहीं)
1	10वीं बोर्ड परीक्षा अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
2	12वीं बोर्ड परीक्षा अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
3	अर्हता परीक्षाओं से संबंधित समस्त अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
4	संबंधित परिषद में जीवित पंजीयन का स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
5	पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
6	नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति। (यदि लागू)	
7	निर्धारित आयु के पूर्व विवाह न होने तथा 26.01.2001 के पश्चात् तीसरी संतान न होने का स्वघोषित शपथ-पत्र। (यदि लागू)	
8	कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति। (यदि लागू)	
9	NTEP/NACO से संबंधित रिसर्च प्रोजेक्ट में कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र	

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा

नाम

दिनांक :

प्रमाण पत्र

प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वह पूर्णतः सत्य है, जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा

नाम

दिनांक :